भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 816
23 जुलाई,2026 को उत्तर देने के लिए

ऑपरेशन ग्रीन्स

816. श्री बृजमोहन अग्रवालः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2025-26 और 2026-27 में अब तक ऑपरेशन ग्रीन्स के अल्पकालिक हस्तक्षेप घटक के लिए आवंटित बजट और उपयोग किए गए वास्तविक व्यय काब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भूतलक्षी कृषि उत्पाद बाजार समिति (एपीएमसी) के आंकड़ों के कारण ट्रिगर मूल्य तंत्र में गंभीर विलंब होता है जिससे किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को परिवहन और भंडारण राजसहायता के आधिकारिक रूप से सक्रिय होने से पहले संकट में बिक्री का सामना करना पड़ता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिलों के कितने एफपीओ ने हाल ही में टमाटर और फलों की कीमतों में मामूली गिरावट के दौरान इस पचास प्रतिशत राजसहायता का सफलतापूर्वक दावा किया है; और

(घ) पूर्वानुमानित अग्रिम राजसहायता अलर्ट के लिए सम्पदा पोर्टल को वास्तविक समय के ई-नाम एपीआई के साथ एकीकृत करने अथवा विलंबित प्रतिपूर्ति के स्थान पर अग्रिम राजसहायता वाउचर प्रदान करनेजैसे क्या सुधारात्मक उपाय प्रस्तावित किए गए हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) से (घ) ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के अल्पकालिक अंतःक्षेप घटक के अंतर्गत , खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) पात्र नाशवान फसलों के लिए पात्र लागत के 50% की दर से परिवहन और भंडारण सब्सिडी प्रदान कर रहा था। हालाँकि, इसे वर्ष 2023-24 में कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए और एफडब्ल्यू) को स्थानांतरित कर दिया गया था। इसलिए, वर्ष 2025-26 और 2026-27 में ऑपरेशन ग्रीन्स के अल्पकालिक अंतःक्षेप घटक के लिए एमओएफपीआई को कोई बजट आवंटित नहीं किया गया है।

डीए और एफडब्ल्यू के निवेश और मूल्य समर्थन प्रभाग द्वारा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) की एकीकृत योजना के अंतर्गत बाजार अंतःक्षेप योजना (एमआईएस) लागू की जाती है। यह योजना उन नाशवान कृषि और बागवानी वस्तुओं की खरीद के लिए है जो एमएसपी के अंतर्गत नहीं आती हैं। एमआईएस के अंतर्गत वर्ष 2025-26 से 2026-27 तक (दिनांक 17.07.2026 की स्थिति के अनुसार) स्वीकृति का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

एमआईएस का उद्देश्य किसानों को बंपर फसल के दौरान, जब आवक चरम पर होती है और कीमतें आर्थिक स्तर और उत्पादन लागत से नीचे गिर जाती हैं, तब उन्हें संकटपूर्ण बिक्री करने से बचाना है। पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में प्रचलित बाजार कीमतों में कम से कम 10 प्रतिशत की कमी होनी चाहिए। यह योजना राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार के अनुरोध पर लागू की जाती है, जो इसके कार्यान्वयन पर होने वाले किसी भी नुकसान का 50 प्रतिशत (पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 25 प्रतिशत) वहन करने के लिए तैयार है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 50:50 के अनुपात में साझा किए जाने वाले कुल नुकसान की सीमा, बाजार अंतःक्षेप मूल्य (एमआईपी) के आधार पर कुल खरीद मूल्य के 25 प्रतिशत तक सीमित है, जिसमें वस्तु की लागत और अनुमत ऊपरी खर्चे शामिल हैं। कुल खरीद मूल्य, एमआईएस समिति द्वारा निर्धारित बाजार अंतःक्षेप मूल्य (एमआईपी) पर खरीदी गई मात्रा की लागत और अनुमत ऊपरी खर्चों का योग है, जो आमतौर पर एमआईपी का 25% होता है। इस योजना के अंतर्गत, राज्य द्वारा नामित एजेंसी द्वारा किसी विशेष फसल के अनुमानित राज्य उत्पादन के 25% तक निश्चित एमआईपी पर खरीद की जाती है। हालाँकि, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास यह विकल्प भी है कि वे बिना भौतिक खरीद के किसानों को एमआईपी और बिक्री मूल्य के बीच का अंतर भुगतान करें।

इसके अलावा, विशेष मामलों में, जब उत्पादक और उपभोक्ता राज्यों के बीच टीओपी फसलों (टमाटर, प्याज और आलू) की कीमतों में अंतर हो , तो किसानों के हित में, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (एनएएफईडी) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) जैसी जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियों (सीएनए) और राज्य की नामित एजेंसियों द्वारा उत्पादक राज्य से अन्य उपभोक्ता राज्यों तक फसलों के भंडारण और परिवहन करने में हुए परिचालन खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

*****

अनुबंध ।

दिनांक 23.07.2026 को उत्तर हेतु 'ऑपरेशन ग्रीन्स' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 816 में संदर्भित अनुबंध

एमआईएस के अंतर्गत वर्ष 2025-26 से वर्ष 2026-27 तक के स्वीकृत विवरण (दिनांक 17.07.2026 की स्थिति के अनुसार)

वर्ष	वस्तु	राज्य	एमआईपी (रु. प्रति एमटी)	स्वीकृत मात्रा (एमटी)	स्थिति	प्रकार
वर्ष 2025-26	लाल मिर्च (ऋतु 2024-25)	कर्नाटक	105,892	73,732	कार्यान्वित नहीं की गई	मूल्य अंतर भुगतान
	लाल मिर्च (ऋतु)	तेलंगाना	103,740	172,135	कार्यान्वित नहीं की गई	मूल्य अंतर भुगतान
	अदरक	मिजोरम	27,800	15,058	कार्यान्वित	भौतिक खरीद
	आम (ऋतु 2025-26)	कर्नाटक	16,160	250,000	कार्यान्वित	मूल्य अंतर भुगतान
	तोतापुरी आम (ऋतु 2025-26)	आंध्र प्रदेश	14,907	162,500	कार्यान्वित नहीं की गई	मूल्य अंतर भुगतान
	प्याज (खरीफ ऋतु 2025-26)	आंध्र प्रदेश	10,000	97,887	कार्यान्वित नहीं की गई	मूल्य अंतर भुगतान
वर्ष 2026-27	आलू	उत्तर प्रदेश	6,500.90	20,00,000	कार्यान्वित नहीं की गई	भौतिक खरीद
	तोतापुरी आम	कर्नाटक	17,500	1,30,000	कार्यान्वयन के अंतर्गत	मूल्य अंतर भुगतान
	तोतापुरी आम	आंध्र प्रदेश	17,470	2,16,250	कार्यान्वयन के अंतर्गत	मूल्य अंतर भुगतान
	तोतापुरी आम	तामिल तमिलनाडु	15454.10	96,879	कार्यान्वयन के अंतर्गत	मूल्य अंतर भुगतान

******